



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 30-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 28, 2020 (SRAVANA 6, 1942 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 33/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना संख्या 118/आरईजी-96 दिनांक 16.07.1991 के तहत जारी ह.रा.बि. बोर्ड की चिकित्सा सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियम अधिसूचित करते हैं:—

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एतद्वारा ह.रा.बि. बोर्ड की चिकित्सा सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियम अधिसूचित करता है:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना:—

- ये विनियम हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चिकित्सा सेवा विनियम, 1991, कहे जा सकते हैं।
- ये विनियम तुरन्त लागू होंगे।
- ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए लागू होंगे।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 31.1.1959 को पंजाब लोक निर्माण विभाग की भूतपूर्व विद्युत शाखा में मूल/स्थायी पेंशन-योग्य पद धारण कर रहे थे, इनमें वे भी शामिल हैं, जो उक्त शाखा में स्थायी पदों पर परिवीक्षा पर थे, जब वे संयुक्त पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में अन्यत्र सेवा में थे या जब उनकी सेवाएं बोर्ड को अन्तरित कर दी गई थी, ऐसे कर्मचारी उस समय तक इसके परिशिष्ट "ए" में दिए गए उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे जब तक कि वे विहित अवधि के भीतर इन विनियमों के अधीन आने के लिए अपना विकल्प व्यक्त नहीं कर देते।

2. परिभाषाएं:

इन विनियमों, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (ए) "अधिनियम" से अभिप्राय है, समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948।

(1541)

- (बी) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय है, परिशिष्ट "बी" में यथा-विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा घोषित प्राधिकारी।
- (सी) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन विनियमों से संलग्न कोई परिशिष्ट।
- (डी) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और इसमें इनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं।
- (ई) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का अध्यक्ष।
- (एफ) "संवर्ग" से अभिप्राय है, बोर्ड में एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा या सेवा के किसी भाग की संख्या।
- (जी) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी सेवा में से पदोन्नति द्वारा या सरकार या सरकार के उपक्रम या किसी अन्य बिजली बोर्ड के उपक्रम में पहले से ही सेवारत किसी एक कर्मचारी के अन्तरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई नियुक्ति।
- (एच) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार या भारत संघ की दशा में केन्द्रीय सरकार।
- (आई) "चिकित्सा प्राधिकारी" से अभिप्राय है इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्राधिकारी।
- (जे) "दण्ड प्राधिकारी" से अभिप्राय है, परिशिष्ट "बी" में विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा घोषित प्राधिकारी।
- (के) "चयन समिति" से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा गठित समिति या सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को चयन करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा करने हेतु सक्षम कोई अन्य प्राधिकारी।
- (एल) "सेवा" से अभिप्राय है, बोर्ड के कार्यों के संबंध में गठित सेवा।
- (एम) "सचिव" से अभिप्राय है, बोर्ड का सचिव/इसमें बोर्ड का अतिरिक्त सचिव भी शामिल है।
- (एन) "पूर्णकालिक सदस्य" से अभिप्राय है, अध्यक्ष/सदस्य (तकनीकी सदस्य) (वित्त एवं वाणिज्य) और बोर्ड में पूर्णकालिक आधार पर सेवा करने के लिए नियुक्ति कोई अन्य सदस्य।

3. पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप:

सेवा में, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट "सी" में दर्शाए गए पद शामिल होंगे।

परन्तु इन विनियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों तथा वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के बोर्ड के अन्तर्निहित अधिकारी पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र:

- (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित ना हो:-

- (ए) भारत का नागरिक; या
- (बी) नेपाल की प्रजा; या
- (सी) भूटान की प्रजा; या
- (डी) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या
- (ई) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य भूतपूर्व टांगानिया तथा जंजीबार जांबिया, मलाबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो,

परन्तु प्रवर्ग (बी), (सी), (डी) तथा (ई) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में समुचित सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, चयन समिति या इस संबंध में बोर्ड द्वारा सशक्त किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा, उसके ऐसा प्रमाण देने पर कि उसने प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर दिया है, संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे समुचित सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही किया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था से, यदि कोई हो चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धीन हो, किन्तु इसके व्यक्तिगत जीवन में उसे भली-भांति परिचित हो

और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

- (4) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसका चरित्र तथा पूर्ववृत्त या सत्यापन सेवा में नियुक्ति के लिए उसे विवर्जित करे।

5. आयु:

कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले के, अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु से कम या 30 वर्ष से अधिक आयु का हो।

परन्तु अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित सीमा तक आयु में छूट दी जा सकती है।

6. नियुक्ति प्राधिकारी:

सेवा में पदों पर नियुक्तियां, परिशिष्ट "बी" में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

7. अर्हताएं:

किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में और सीधी भर्ती से अन्यथा की दशा में इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट "डी" में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो,

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों/पूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन प्रवर्गों से संबंधित अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो और न ही भविष्य में उपलब्ध होने की संभावना हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन के विवके पर, संबंधी अर्हताओं में 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट, ऐसा करने के लिए कारण लिखने के बाद दी जाएगी।

8. निरर्हता:

कोई भी व्यक्ति:-

- (ए) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या
- (बी) जिसने पति/पत्नी के विवाहित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या
- (सी) जो सरकार/बोर्ड/निगम का पदच्युत कर्मचारी है या नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्ध दोष है, या
- (डी) जो डाक्टरी रूप से स्वस्थ नहीं पाया गया है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि बोर्ड की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

9. सेवा में नियुक्ति:

- (1) सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित में से और परिशिष्ट (सी) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

(ए) सीधी भर्ती द्वारा, या

(बी) पदोन्नति द्वारा, या

(सी) सरकारी राज्य बिजली बोर्ड या सरकार के किसी एक उपक्रम में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के अन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परन्तु सेवा का कोई सदस्य अगले उच्चतर पद पर तब तक की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक की वह विभागीय परीक्षा या ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए इस बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए समय-समय पर विहित किसी परीक्षा या प्रशिक्षण में अर्हित नहीं हो जाता।

- (2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं गुण के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसे पदों पर पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. परिवीक्षा:

- (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं, दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और यदि अन्यथा नियुक्त किए गए हैं तो एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे:-

परन्तु:-

- (ए) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी।
- (बी) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस विनियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और
- (सी) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण परिवीक्षा की अवधि के दौरान अच्छा न हो तो वह,
- (ए) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है,

या

उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो उसकी परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था,

परन्तु बढ़ाई गई अवधि समेत, यदि कोई हो, परिवीक्षा की कुल अवधि, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (बी) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या
- (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो,
- परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो, शामिल है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, यदि उसका कार्य या आचरण अच्छा रहा हो तो वह :
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि स्थायी रिक्ति विद्यमान हो तो उसकी परिवीक्षा की अवधि पूरी करने की तिथि से या बाद में स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है।
- (ii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है।
- (4) किसी कर्मचारी की अवनति/सेवा से हटाया जाना, दण्ड तथा अपील विनियमों में दिए गए उपबन्धों की कोटि में नहीं आएगा।

11. ज्येष्ठता:

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी पद पर लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी:-

परन्तु पहले जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी,

परन्तु दूसरे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करने में चयन समिति या बोर्ड द्वारा, जेसी भी स्थिति हो, नियत योग्यता-क्रम भंग नहीं किया जाएगा।

परन्तु तीसरे एक ही दिन दो या अधिक सदस्यों की नियुक्ति की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्न प्रकार से निश्चित की जाएगी:-

- (ए) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- (बी) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

- (सी) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे व पदोन्नत या अन्तरित किए गए हों, और,
- (डी) विभिन्न संवर्गों से अन्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पिछली नियुक्ति में उच्चतर वेतनमान ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतनमान भी समान हों तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

व्याख्या: इस विनियम में यथा निर्दिष्ट "लगातार सेवा" में केवल काम चलाऊ या आकस्मिक/व्यवस्थाओं के लिए या अनंतिम आधार पर की गई नियुक्तियां शामिल नहीं होंगी।

12. सेवा करने का दायित्व:

- (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने हेतु जिम्मेवार होगा।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा करने के लिए नीचे लिखे अनुसार भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—
 - (i) कोई कंपनी संस्था अथवा व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के भीतर, राज्य सरकार, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकारी या विश्वविद्यालय के पास हो।
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, या
 - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार अथवा गैर सरकारी निकाय के पास न हो।

परन्तु सेवा, किसी सदस्य को खंड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या संगठन या किसी अन्य निकाय में सेवा करने के लिए उसकी सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मसले:

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी संबंधित मामलों से सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों, तथा विनियमों द्वारा आमंत्रित होंगे, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाए या अंगीकृत किए गए हैं या इसके बाद अंगीकृत किए या बनाए जाएं।

14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें:

- (1) अनुशासन, शास्तियां तथा सभी संबंधी मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (दण्ड तथा अपील) विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।
परन्तु शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी परिशिष्ट "बी" में यथा निर्दिष्ट विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धारा 79 के अधीन बनाए गए किसी विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होंगे।
- (2) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (दण्ड तथा अपील) विनियमों के इस विनियम के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वे होंगे जो इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट "ई" में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

15. टीका लगवाना:

सेवा का प्रत्येक सदस्य, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा जब कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसा निदेश करें।

16. राजनिष्ठा:

सेवा के प्रत्येक सदस्य से भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत संविधान के प्रति और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ और जब भी तथा अपेक्षित रीति में लेने की अपेक्षा की जाएगी।

17. ढील देने की शक्ति:

जहां बोर्ड की राय में, इन विनियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, तो वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है।

18. विशेष प्रावधान:

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, बोर्ड या लोक सेवा के हित में, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझा जाए, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. आरक्षण:

इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 16 (4) के अनुसरण में जारी किए गए तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अंगीकृत किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय संवर्ग के पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. निरसन या व्यावृत्ति:

इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा के लिए लागू कोई नियम/विनियम तथा इन विनियमों के अनुरूप जो विनियमों के प्रारम्भ से तुरंत पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु इस प्रकार से निरसित/विनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

ये संशोधन कार्यालय आदेश में यथा उल्लेखित 16.07.1991 से लागू माने जाएंगे।

चण्डीगढ़:

दिनांक 11 मई, 2020.

टी. सी. गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

परिशिष्ट –“ए”*(विनियम-1 में निर्दिष्ट)*

ये विनियम पंजाब लोक निर्माण विभाग की आपूर्ति विद्युत शाखा के स्थायी सरकारी कर्मचारियों को (इसमें स्थायी पदों पर परीक्षा वाले भी शामिल हैं) लागू होंगे, जो दिनांक 31.01.1959 को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की अन्यत्र सेवा” शर्तों पर स्थानान्तरित कर दिए गए थे।

अनुशासन:

सेवा मामलों के संबंध में, पंजाब सरकार की बजाय, वे बोर्ड के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे। सरकार के अधीन उसी प्रकार ही प्रत्यायोजन के अनुसार बोर्ड और इसका अधीनस्थ प्राधिकारी, अंतिम प्राधिकारी होंगे, किन्तु शास्ति लगाने से पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा निर्माण के उपबन्धों लोक सेवा आयोग से परामर्श से संबंधित उपबन्ध के सिवाय, अनुसरण किया जाएगा।

परिशिष्ट-“बी”

(विनियम-2 (बी), 2 (जे) (6,14) देखें)

क्र.सं.	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	दूसरी तथा प्राधिकारी अंतिम प्राधिकारी यदि कोई हो
1.	स्टाफ परिचारिका (नर्स)	सचिव, अतिरिक्त सचिव	(ए) वैयक्तिक फाईल (चार्टर रोल) पर प्रति रखते हुए चेतावनी	सचिव / अतिरिक्त सचिव	वित्त एवं वाणिज्यिक सदस्य	बोर्ड
2.	सफाई निरीक्षक		(बी) परिनिन्दा			
3.	प्रयोगशाला तकनीकविद		(सी) संचयी प्रभाव से अथवा उसके बिना वेतन वृद्धियां रोकना / बंद करना (डी) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना। (ई) पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी / व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय चाहे, वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद के या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण को पहुंचाई गई हानियां पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली (एफ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन के समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन-वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं,			

			(जी) निम्नतर वेतनमान या ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो कर्मचारी के उस समय पर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए सामान्यतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड/पद या सेवा में ऐसी बहाली पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा, (एच) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति, (आई) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी। (जे) सेवा में पदच्युति जो बोर्ड/राज्य सरकार। राज्य सरकार उपक्रमों के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			
4.	भैषजिक					
5.	चिकित्सा अधिकारी					
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	अध्यक्ष	ऊपर (ए) से (आई) तक के अनुसार	अध्यक्ष	पूर्णकालिक सदस्य	बोर्ड
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी					

परिशिष्ट-“सी”

(विनियम-3 देखें)

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1.	स्टाफ परिचारिका	—	1	1	1350 / 2200
2.	सफाई निरीक्षक	—	2	2	1350 / 2200
3.	प्रयोगशाला तकनीकविद	—	4	4	950 / 1500
4.	भैषजिक (फार्मसिस्ट)	—	31	37	1400 / 2600
5.	चिकित्सा अधिकारी	—	13	13	2000 / 3500+सरकारी दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	—	3	3	2000 / 3500+सरकारी दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	—	1	1	3000 / 4500+200 / — रूपए विशेष वेतन+600 / —रूपये प्रैक्टिस बंदी भत्ता

परिशिष्ट-“डी”

(विनियम-7 एवं 9 देखें)

क्र.सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई है।	सीधी भर्ती के भिन्न नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई है
1.	स्टाफ परिचारिका (नर्स)	पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से हिन्दी सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा। (बी) 'ए' ग्रेड परिचारिका (नर्सिस) प्रमाण-पत्र रखता हो और हरियाणा परिचारिका (नर्सिस) पंजीकरण परिषद के पास पंजीकृत हो।	
2.	सफाई निरीक्षक	पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से हिन्दी सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा। (बी) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) का प्रमाण पत्र।	
3.	प्रयोगशाला तकनीकविद	पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा। (बी) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या चिकित्सा प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक। (सी) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	
4.	भैषजिक (फार्मसिस्ट)	पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा।	

		(बी) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से औषध निर्माण में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) रखता हो। (सी) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी: उच्चतर अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	
5.	चिकित्सा अधिकारी	पद निम्नलिखित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा: (ए) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस (चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक) या समकक्ष उपाधि। (बी) हरियाणा राज्य चिकित्सा परिषद या भारत में किसी अन्य चिकित्सा परिषद के पास चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत रहा हो। टिप्पणी: पद राज्य सरकार में सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति या राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रम तथा उपरोक्त अर्हता रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भी भरा जाएगा।	
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी		पद वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी		पद वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर कम से कम 4 वर्ष की सेवा रखने वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

परिशिष्ट—“ई”
(विनियम-14 (2) देखें)

क्र. सं.	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने वाला सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	दूसरी तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1.	स्टाफ परिचारिका	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे स्वीकार्य सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या उसे रोकना। (ii) सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति की अधिवर्षिता के लिए नियत आय के होने से अन्यथा समाप्ति।			
2.	सफाई निरीक्षक				
3.	प्रयोगशाला तकनीकविद		सचिव/ अतिरिक्त	सदस्य वित्त एवं वाणिज्य	बोर्ड
4.	भैषजिक (फार्मैसिस्ट)				
5.	चिकित्सा अधिकारी				
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उपर्युक्त खाना (i) से (ii) के अनुसार।	बोर्ड	बोर्ड	बोर्ड
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी				

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2020

No. 33/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f. 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to notify the following regulations governing the Recruitment, promotion and other conditions of service of persons appointed to the “H.S.E.B. employees of Medical Service” issued by erstwhile HSEB vide Notification No. 118/REG-96 dated 16.07.1991 w.e.f. 16.07.1991:-

In exercise of the powers conferred by Clause (C) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and all other enabling powers in this behalf, the Haryana State Elec. Board hereby notifies the following regulations governing the Recruitment, promotion and other conditions of service of persons appointed to the “H.S.E.B. employees Medical Service namely:-

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND APPLICATION

- (i) These Regulations may be called the “HSEB employees of Medical Service Regulations, 1991”.
- (ii) These Regulations shall come into force with immediate effect.
- (iii) These regulations shall apply to every member of the Service.

Government employees, who were holding substantive/permanent responsible posts in the Erstwhile Electricity Branch of the Punjab P.W.D. on 31.3.1959 including those on “Probation” against permanent posts in the said Branch while they were on “Foreign Service” with the composite Punjab State Elec. Board or when their services were transferred to the Board. Such employees, will be governed by the provisions as contained in APPENDIX-“A” hereto, till such time they opt to come under these Regulations within the prescribed period.

2. DEFINITIONS

In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) ‘Act’ means the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended from time to time.
- (b) ‘Appointing Authority’ means the authority specified in Appendix ‘B’ or as may be declared by the Board from time to time.
- (c) ‘Appendix’ means an appendix appended to these regulations.
- (d) ‘Board’ means the Haryana State Electricity Board constituted under Section-5 of the Act, and shall include its successors and assignees.
- (e) ‘Chairman’ means the Chairman of HSEB.
- (f) ‘Cadre’ means the strength of a service or part of a service sanctioned as a separate unit in the Board.
- (g) ‘Direct Recruitment’ means an appointment made to the service otherwise than by promotion from within the service or by transfer or deputation of an employee already in the service of the Government or any undertaking of the Government or any other Electricity Board.
- (h) ‘Government’ means the State Govt. in the State of Haryana of the Central Govt. in the case of Union of India.
- (i) ‘Medical Authority’ means the authority approved by the Board for the purpose, from time to time.
- (j) Punishing Authority means the authority specified in Appendix -‘B’ or as may be declared by the Board from time to time.
- (k) ‘Selection Committee’ means the Committee constituted by the Board or any other authority competent to do so for the purpose of selecting candidates for appointment to the service.
- (l) ‘Service’ means a service constituted in connection with the affairs of the Board.
- (m) ‘Secretary’ means the Secretary of the Board. This shall also include the Additional- Secretary.
- (n) ‘Whole-Time-Members’ means the Chairman, Member (Technical), Member (Finance and Commercial) and any other member of the Board appointed to service on whole time basis.

3. NUMBER AND CHARACTER OF POSTS:

The Service shall comprise of the posts shown in Appendix-‘C’ appended to these Regulations.

Provided that nothing in these regulations shall affect the inherent power of the Board to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designation and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. NATIONALITY, DOMICILE AND CHARACTER OF CANDIDATES APPOINTED TO THE SERVICE

(1) No person shall be appointed to any post in service, unless he is :-

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formally Tangayika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the Intention of permanently setting in India.

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a Certificate of eligibility, has been issued by the appropriate Government.

- (2) A person in whose case a Certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Selection Committee or any other recruiting authority empowered by the Board in this regard on his furnishing proof that he has applied for the certificate but the “Offer of Appointment” may be issued only after the necessary eligibility Certificate has been issued to him by the appropriate Government.
- (3) No person shall be appointed to the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of Character from the University, College, School or Institution last attended, if any and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.
- (4) No person shall be appointed to the service by direct recruitment whose character and antecedents on verification, debar him/her for appointment to the service.

5. AGE

No person shall be appointed by any post in the service to direct recruitment who is less than 17 years or more than 30 years of age, on or before the 1st day of August, next preceding the last date of submission of applications to the Board.

Provided that age limit will be relaxed in respect of SC/BC, HC, Ex-Servicemen and widows to the extent, approved by the Board from time to time.

6. APPOINTING AUTHORITY

Appointments to the posts in the service shall be made by the Appointing Authorities specified in Appendix ‘B’.

7. QUALIFICATION

No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in Appendix-“D” appended to these regulations in the case of direct recruitment and in the case of appointment other than direct recruitment.

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience, shall be relax able to the extent of 50% at the discretion of the appointing authority / selection Committee constituted for the purpose in case sufficient number of candidates, belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Serviceman and Physically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available or are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

8. DISQUALIFICATION

No Person –

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person; or
- (c) Who is a dismissed Govt./Board/Corporation employee or convicted of an offence involving moral turpitude, or
- (d) Who has not been found medically, fit; shall be eligible for appointment to any post in the services.

Provided that the Board may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

9. APPOINTMENT TO THE SERVICE:

- (1) Appointment to the service, shall be made in any of the following manners and as specified in Appendix- 'C':-

- (a) By direct recruitments; or
- (b) By Promotion; or
- (c) By transfer or deputation of an Officer/Official already in service of Government State Electricity Board or an undertaking of Government.

Provided that a member of the service, shall not be eligible for promotion to the next higher post until he qualifies the Departmental Examination or any examination or training prescribed for the purpose by the Board from time to time for appointment to such post.

- (2) All Promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone, shall not give, any right to such promotions.

10. PROBATION:

- (1) Persons appointed to any post in the service, shall remain on probation for a minimum period of two years, if appointed by direct recruitment and for a minimum period of one year, if appointed otherwise;

Provided that:-

- (a) Any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post, shall count towards the period of probation;
- (b) Any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this regulation; and
- (c) Any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed, period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

- (2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of person during the period of probation or extended period is not good, it may:-

- (a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;

Or

Extend his period or probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period or probation;

Provide that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

- (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) extend his him period of probation and thereafter deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit,

Provided that the total period of probation including extension, if any shall not exceed two years.

- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may if his work or conduct has, in its opinion, been good:-
 - (i) Confirm such person from the date of his completion of probation period, if a permanent vacancy exists or from the date from which permanent vacancy occurs subsequently.
 - (ii) Declare that he has completed his probation to the satisfaction of the Appointing Authority, if there is no permanent vacancy.
- (4) The reversion/dispensing with the service of an employee, shall not be tantamount to the provisions as contained in Punishment and Appeal Regulations.

11. SENIORITY

Seniority, interse of member of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service;

Provided firstly that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided secondly that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the selection Committee, or the Board, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority;

Provided thirdly that in the case of two or more members appointed on the same day, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) A member appointed by direct recruitments shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) A member appointed by promotion, shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) In the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they are promoted or transferred; and
- (d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay preference being given to a member, who was drawing a higher scale of pay in his previous appointment, and if the scale of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the elder member shall be senior to the younger member in age.

EXPLANATION

“Continuous Service” as referred to in this Regulation shall not include the appointments made on purely stop gap or fortuitous arrangements or provisional basis.

12. LIABILITY TO SERVE

- (1) A member of the service, shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
- (2) A Member of service, may also be deputed to serve under:-
 - (i) a Company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or local authority or University within the State of Haryana; or
 - (ii) the Central Government or a Company, association or body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) another State Government, an international organization an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service, shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in Clause (ii) or Clause (iii) except with his consent.

13. PAY, LEAVE, PENSION & OTHER MATTERS

In respect of pay, leave, pension and all other related matters, the members of the Service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the Board from time to time.

14. DISCIPLINE, PENALTIES & APPEALS

- (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals the members of the service shall be governed by Haryana State Electricity Board Employees (Punishment and Appeal) Regulations as amended from time to time.

Provided that the nature of penalties which may be inflicted, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority, subject to the provisions of any Regulation made under Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948, be, as specified in Appendix-‘B’.

- (2) The authority competent to pass order under Regulations of H.S.E.B. Employees (Punishment & Appeal) Regulations and appellate authority, shall also, be as specified in Appendix-‘E’ appended to these regulations.

15. VACCINATION

Every member of the service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Appointing Authority so directs by a special or general order.

16. OATH OF ALLEGIANCE

Every member of the service shall be required to take the oath of allegiance to India and its constitution as by law established and directed by the Appointing Authority, as and when the manner in which require.

17. POWER OF RELAXATION

Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

18. SPECIAL PROVISION

Notwithstanding anything contained in these regulations, the appointing authority, may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so in the interest of Board or Public service.

19. RESERVATIONS

Nothing contained in these regulations, shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other Class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, and adopted by the Board from time to time in pursuance of Articles 16 (4) of Constitution of India.

Provided that the total percentage of reservation so made, shall not exceed 50% of Cadre post at any time.

20. REPEAL AND SAVINGS

Subject to the provisions of these Regulations, any Rule/Regulation applicable to the service and corresponding to any of these Regulations which is in force immediately before the commencement of these Regulations, is hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the Rule/Regulations so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these regulations.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 16.07.1991 as mentioned in the office order.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.

APPENDIX- “A”*(Referred to in Regulation-1)*

Regulations applicable to permanent Government Employees of the Erstwhile Electricity Branch of the Punjab P.W.D. (including those on probation against permanent posts), who were transferred on “Foreign service” terms to the Punjab State Electricity Board on 31.1.1959

DISCIPLINE

In respect of service matter, they will be under the administrative control of this Board, instead of the Punjab Government. The Board and its subordinates authorities in accordance with the delegation, on similar lines as under Government, will be the final authority but, before a penalty is imposed the provisions of the Punjab CIVIL Services, as amended from time to time, will be followed, except that relating to consultation with the Public Service Commission.

APPENDIX- "B"*(See Regulation – 2(b), (J), 6, 14)*

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	
1	Staff Nurse	Secy./ Addl. Secy.	(a) Warning with a copy to be placed in the personal/ (chartor roll) file	Secy./ Addl. Secy	M.F.C.	Board
2	Sanitary Inspector		(b) Censure			
3	Laboratory Technician		(c) Withholding/stoppage of increments of pay with or without cumulative effect (d) Withholding or promotion for a specific period. (e) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders of the Board or Central Govt. or a State Govt. or to a Company Association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Govt. or to a local authority set-up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State, during discharge of official duty. (f) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of post-poning the future increments of his pay. (g) Reduction to a lower scale of pay or a grade post or			

service, which shall ordinarily be bar to the promotion of the employee to the time scale of pay or grade or post or service, from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the employee was reduced and seniority and pay on such restoration to that grade or post or service;

(h) Compulsory Retirement

(i) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board.

(j) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Board / State Govt. / State Government Undertakings.

4 Pharmacist

5 Medical
Officer

6	Sr. Medical Officer	Chairman	As (a) to (j) above	Chairman	WTMs	Board
---	------------------------	----------	---------------------	----------	------	-------

7 CMO

APPENDIX-“C”*(See Regulation-3)*

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Staff Nurse	-	1	1	1350/2200
2	Sanitary Inspector	-	2	2	1350/2200
3	Laboratory Technician	-	4	4	950/1500
4	Pharmacist	6	31	37	1400/2600
5	Medical Officer	-	13	13	2000/3500+NPA-as per Govt. rates
6	Sr. Medical Officer	-	3	3	2000/3500+NPA as per Govt. rates
7	CMO	-	1	1	3000/4500+200 SP+Rs. 600 NPA

APPENDIX-‘D’*(See Regulation- 7 & 9)*

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	
1	Staff Nurse	By the direct recruitment from persons having following qualification and experience:- (a) Matriculation or equivalent Exam. With Hindi from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognized by the State Government of Haryana. (b) Having ‘A’ Grade Nurses Certificate and registered with Haryana Nurses Registration Council.	-
2	Sanitary Inspector	By direct recruitment from persons having following qualification and experience :- (a) Matriculation or equivalent Exam. With Hindi from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognized by the State Government of Haryana. (b) A multi purpose Health Worker (Male) Certificate from any Institution recognized by the State Govt. of Haryana.	-
3	Laboratory Technician	By direct recruitment from persons having following qualification and experience :- (a) Matriculation or equivalent Exam. With Science from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognized by the State Government of Haryana. (b) Diploma in Medical Laboratory technology or B.Sc. in Medical Technology from any Institution recognized by the State Govt. of Haryana. (c) Hindi upto Matric Standard.	-
4	Pharmacist	By direct recruitment from amongst persons having following qualification and experience :- (a) Matriculation or equivalent Exam. With Science from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognized by the State Government of Haryana. (b) Having a Diploma in Pharmacy from any Institution recognized by the State Govt. of Haryana.	-

(c) Hindi upto Matric Standard.

NOTE: The Persons having higher qualifications and experience, will be preferred.

5 Medical Officer

By direct recruitment from persons having following qualification and experience :-

(a) MBBS or equivalent degree from any University recognized by the Medical Council of India.

(b) Having been registered as Medical Practitioner with Haryana State Medical Council or any other Medical Council in India.

NOTE: The post may also be filled-up by transfer / deputation of medical officers in service of the State Govt. or an Undertaking of State Govt./Central Govt. and having the above said qualification.

6 Sr. Medical Officer

By promotion from amongst Medical Officers on seniority-cum-merit basis, and having rendered at least 8 years service as such.

7 CMO

By promotion from amongst Sr. Medical Officers on seniority-cum-merit basis and having rendered at least 4 years service as such.

APPENDIX-‘E’*(See Regulations- 14 (2))*

Sr. No.	Designation of post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority, if any.
1	2	3	4	5	6
1	Staff Nurse	(i) Reducing or with holding the amount of ordinary / additional pension admissible under the rules governing pension			
2	Sanitary Inspector				
3	Laboratory Technician	(ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Secy./Addl. Secy.	M.F.C.	Board
4	Pharmacist				
5	Medical Officer	As per column from (i) to (ii) above.	Board	Board	Board
6	Sr. Medical Officer				
7	CMO				